

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 269**

TO BE ANSWERED ON THE 22ND JULY, 2025/ ASHADHA 31, 1947 (SAKA)

MACP BENEFITS TO EMPLOYEES IN LAKSHADWEEP

269. SHRI MUHAMMED HAMDULLAH SAYEED:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether there are delays in awarding promotions and Modified Assured Career Progression (MACP) benefits to employees in Lakshadweep;**
- (b) if so, the reasons for these delays and the measures taken to address pending cases and ensure timely reviews;**
- (c) whether the Government is considering implementing a rotation policy for contract staff to allow periodic transfers to their native islands to reduce personal and financial hardships; and**
- (d) if so, the details thereof, including any plans to review and adjust contract staff salaries to reflect living costs and their service contributions?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)**

(a) and (b): The UT of Lakshadweep Administration has informed that the promotions and Modified Assured Career Progression (MACP) are awarded to the eligible employees in Lakshadweep, as admissible under relevant rules. In order to ensure timely disposal of cases related to such benefits, the administration has constituted an Integrated Screening Committee/ Departmental Promotion Committee.

(c) and (d): No such policy / plan is under consideration.

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 269

दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

लक्षद्वीप में कर्मचारियों को एमएसीपी लाभ

+269. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप में कर्मचारियों को पदोन्नति और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एमएसीपी) लाभ प्रदान करने में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं और लंबित मामलों को सुलझाने तथा समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अनुबंध कर्मचारियों के लिए एक रोटेशन नीति लागू करने पर विचार कर रही है ताकि व्यक्तिगत और वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए उन्हें अपने मूल द्वीपों में समय-समय पर स्थानांतरित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो जीवन-यापन की लागत और सेवा योगदान को दर्शाने के लिए अनुबंध कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और समायोजन की किसी योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि लक्षद्वीप में पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एमएसीपी) संबंधित नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। ऐसे लाभों से संबंधित मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने एक एकीकृत स्क्रीनिंग समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ): ऐसी कोई नीति/योजना विचाराधीन नहीं है।
